POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2013/अंक 01 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 जनवरी, आरएमएस (पी.एस.ओ.) जयपुर-06

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जनवरी, 2013 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! राजस्थान में पहली बार 'राइट टू रिकॉल' अर्थात चुने गए जनप्रतिनिधि को वापस जनता के बीच बुलाने के अधिकार का प्रयोग हुआ। बारां जिले के मांगरोल नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन के खिलाफ पार्षदों ने अविश्वास जाहिर किया था।

'ग्राम गदर' परिवार की ओर से सभी पाठकों और ग्रामीण भाई-बहिनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभ कामनाएं।

मामला अदालत में गया और उन्हें फिर से जनता के बीच जनमत हासिल करना पड़ा। मांगरोल में फिर से मतदान हुआ और उन्होंने पिछली बार मिले मतों से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल की।

'राइट टू रिकॉल' को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। लेकिन खेद है, आजादी के इतने सालों के बाद भी पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है। जबकि अनेक सामाजिक संगठन, सामाजवादी नेता व चुनाव आयोग तक इसे लागू करने की पैरवी करते रहे हैं। आज भी समाजसेवी अन्ना हजारे, अरविन्द केजरीवाल व अन्य सामाजिक कार्यकर्ता इसे लागू कराने के लिए संघर्षरत हैं।

पूर्व में किए गए ग्राम गदर सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के 62 फीसदी लोग इसे पूरे देश में लागू करने के लिए सहमत थे।

लोगों का मानना था कि किसी भी जनप्रतिनिधि के भ्रष्ट या अयोग्य होने पर उसे वापस बुलाने का अधिकार जनता को मिलना ही चाहिए। इससे जनप्रतिनिधियों में जवाबदेही आएगी, भ्रष्टाचार थमेगा और वे आम जन के हितों की चिंता करने लगेंगे।

जब्त होगी लोकसेवकों की काली कमाई

भ्रष्ट तरीकों से काली कमाई कर सम्पत्ति बनाने वाले लोकसेवकों की अब खैर नहीं। अब प्रदेश में भ्रष्टाचार के जरिए की गई काली कमाई और उससे बनाई गई सम्पत्ति को जब्त करने का कानून लागू हो गया है। इसके दायरे में सरकार से वेतन लेने वाले चपरासी से अफसर और सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री, न्यायिक अधिकारी तक शामिल होंगे।

इसके लिए राज्य विधान सभा ने इसी साल 12 अप्रेल को राजस्थान विशेष न्यायालय बिल पारित किया था और राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भिजवाया था। अब राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने इसका राजपत्र में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। विस्तृत नियम बनने के बाद यह खुलासा हो सकेगा कि इसके दायरे में पुराने मामले भी आएंगे या नहीं।

विधेयक में यह है मुख्य प्रावधान

- *ऐसे मामलों में फैसला करेगी विशेष कोर्ट।*
- *मुकदमा दर्ज होने पर सम्पत्ति का बेचान व हस्तान्तरण होगा अवैध।*
- *बाजार दर से होगा सम्पत्ति का आकलन।*
- *हाईकोर्ट विशेष परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा तीन महीने का स्टे दे सकेगा।*
- *आरोपी बरी होगा तो आंकी गई सम्पत्ति का मूल्य मय ब्याज के उसे लौटाया जाएगा।*

विधेयक में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए दो विशेष न्यायालय बनाए जाने का प्रावधान है। ये जयपुर और जोधपुर में खोले जाएंगे। इन न्यायालयों में जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी होंगे और उनका नियंत्रण हाईकोर्ट के पास रहेगा।

भारी पड़ा सुविधाएं दिए बिना पार्किंग शुल्क वसूलना

करुणा बोहरा और ज्ञान सिंह ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ उपभोक्ता मंच, जयपुर में अलग अलग मामले दर्ज कराए। अपने-अपने परिवाद में उन्होंने मंच को बताया कि बोर्ड की स्ववित्त पोषित योजना 2007 के तहत प्रताप नगर स्थित मेवाड अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदे थे। बोर्ड पार्किंग के लिए छोड़ी गई खुली जगह पर पार्किंग के एवज में बिना कोई सुविधाएं दिए शुल्क वसूल नहीं कर सकता। लेकिन बोर्ड उनसे यह शुल्क वसूल कर रहा है।

सुनवाई पर मंच ने बोर्ड द्वारा की गई इस वसूली को गलत ठहराया। मंच ने करुणा बोहरा के मामले में पार्किंग शुल्क के रूप में वसूली राशि 57 हजार 495 रुपए मय 12 फीसदी ब्याज सहित वापस लौटाने के निर्देश दिए। साथ ही, 30 जून 2011 से सुविधाएं देने तक जमा राशि 23 लाख 38 हजार 784 रुपए पर 10 फीसदी की दर से ब्याज देने और 50 हजार रुपए हर्जाने के रूप में अदा करने के भी आदेश दिए हैं।

इसी तरह मंच ने ज्ञान सिंह के मामले में भी 97 हजार 225 रुपए मय 12 फीसदी ब्याज सहित वापस लौटाने, जमा राशि 19 लाख 86 हजार 215 रुपए पर सुविधाएं मुहैया कराने तक 10 फीसदी ब्याज देने तथा 50 हजार रुपए बतौर हर्जाना अदा करने के आदेश दिए हैं।

लोक सेवा गारंटी कानून की हो जानकारी

राज्य सरकार की ओर से पिछले साल 14 नवम्बर को लागू किए गए लोक सेवा गारंटी कानून की क्रियान्वित से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कानून के तहत अब तक हुए काम के बारे में अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि कानून तो लागू हो गया, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। अखबारों और चैनल पर विज्ञापन देने मात्र से कुछ नहीं होगा। पार्षदों, पंचायतों के प्रतिनिधियों, पंच-पटेलों को खुद जनता तक इसकी जानकारी पहुंचानी चाहिए। तभी यह कानून सफल तरीके से लागू हो पाएगा।

लोगों को अधिकारों का पता नहीं

राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एमएल मेहता का कहना है कि लोक सेवा गारंटी कानून का अभी प्रचार नहीं हुआ है। लोगों को मालूम नहीं है कि कानून में उनके अधिकार क्या हैं। ज्यादा शिकायतों वाले जिलों के प्रशासन को निर्देश दिए जाएं कि लोगों के काम समय पर हों और कानून का फायदा मिले।

हालांकि पूरे प्रदेश में अगस्त, 2012 तक कानून के तहत 70 लाख से ज्यादा काम हुए और सिर्फ 1370 आवेदनों पर निर्धारित समयावधि में काम नहीं हो पाया। समय पर काम पूरा नहीं करने में जोधपुर जिला फिसड्डी रहा। सबसे ज्यादा 822 मामले यहीं से सामने आए है। सबसे ज्यादा 12 लाख 25 हजार आवेदन जयपुर कलक्टर को मिले। इनमें 23 मामले लम्बित थे और 148 मामलों में काम नहीं हुआ।

अब सामान्य जांचें अप्रेल से मुफ्त

प्रदेश में विश्व स्वास्थ्य दिवस अर्थात 7 अप्रेल, 2013 से सभी मेडिकल कॉलेजों व इनसे संबद्ध अस्पतालों और जिला अस्पतालों में सामान्य जांचें जैसे ब्लड शुगर, सीरम यूरिया, यूरीन टैस्ट आदि मुफ्त में होंगी। अगले चरण में इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी लागू किया जाएगा। फिलहाल मरीजों को एमआरआई, सोनोग्राफी, सीटी स्केन जैसी महंगी जांचें पैसे देकर करानी होगी। योजना के आगे बढ़ने पर यह भी मुफ्त की जा सकती हैं।

यह घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करते हुए कहा कि अगले साल प्रदेश में 3000 नए उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे।

अब मनरेगा में होगा एपीएल का भी बीमा

राज्य में बीपीएल मनरेगा तजदूरों को मिल रही चिकित्सा बीमा सुविधा अब एपीएल मजदूरों को भी मिलेगी। जयपुर सहित सात जिलों अजमेर,कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर व जोधपुर में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।

फरवरी से पूरे राज्य में मनरेगा कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। केन्द्र सरकार से इस बारे में सहमति मिल गई है। केन्द्र सरकार ने नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी को यह जिम्मेदारी सौंपी है।

कम्पनी ने फरवरी से 18 जिलों में योजना लागू करने की तैयारी कर ली है। सात जिलों के लिए बीमा की जिम्मेदारी एलएण्डटी कम्पनी को दी गई है। बीमा कम्पनियां रजिस्टर्ड मजदूर को साल में 30 हजार रुपए तक की मदद करेगी। योजना में साल भर में मजदूर 30 रुपए और केन्द्र सरकार 270 रुपए बीमा प्रीमियम के रूप में भुगतान करेगी।

बच्चों का हलवा खा गए अफसर

सीकर जिले के एक लाख 34 हजार बच्चों को पोषाहार के लिए हलवा, पंजीरी और उपमा बनाने की सामग्री अफसर ही हजम कर गए। महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा भेजे गए इस सामान की कीमत दो करोड़ सात लाख रुपए है।

इसे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 6 साल तक के बच्चों को परोसा जाना था। इस खाद्य सामग्री का वजन 4305 क्विंटल है। फिलहाल अनियमितता उजागर होने के बाद विभाग ने सम्बन्धित अफसरों को नोटिस थमा दिए हैं। इससे अन्य कई जिलों में भी पोषाहार गायब होने का अंदेशा है।

सीकर जिले में पोषाहार के गायब होने की पुष्टि हो गई है। यह गड़बड़ी ऑडिट रिपोर्ट में पकड़ी गई। सीकर जिले के महिला और बाल विकास के उपनिदेशक का कहना है कि पोषाहार गायब नहीं, अवधिपार होने के कारण नष्ट किया था। प्रश्न उठता है अवधिपार सामग्री कहां से और कैसे पहुंची?

आधार कार्ड से थमेगा भ्रष्टाचार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधार से जोड़ने पर राशन की चोरी पर अंकुश लगेगा। आधार कार्डधारी ही राशन सामग्री उठा पाएंगे। इस तरह की प्रणाली तैयार की जाएगी कि आधार कार्डधारी का रिकॉर्ड में पूरा इन्द्राज होगा कि उसने क्या-क्या सामग्री ली है। ऐसे में जो राशन कार्डधारी सामान नहीं उठा पाएंगे, उनके हिस्से के सामान को खुर्दबुर्द नहीं किया जा सकेगा।

राज्य सरकार का मानना है कि अब मनरेगा में भी मजदूरों को फर्जी भुगतान नहीं हो सकेगा। मनरेगा को आधार से जोड़ने के बाद कार्डधारी ही मजदूरी का भुगतान ले सकेगा। इससे भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकेगा। प्रदेश में सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग पहले चरण में आधार से पांच योजनाओं को जोड़ने की कवायद कर रहा है।

सहरिया परिवारों को मुफ्त तेल-दाल

राज्य सरकार बारां जिले के 22 हजार 373 सहरिया परिवारों को हर महीने 2 किलो दाल और 5 किलो तेल मुफ्त देगी। पहले चरण में दिसम्बर से मार्च, 2013 तक हर परिवार को यह दाल व तेल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद इसे पूरे साल के लिए लागू करने की योजना है।

सरकार ने यह निर्णय सहरिया परिवारों में व्याप्त कुपोषण के मद्देनजर लिया है। इस पर पहले चार महीनों में सरकार पर 9 करोड़ 60 लाख रुपए का खर्च आयेगा और यह उचित मूल्य की दुकानों के जरिए दिया जाएगा।

मासूम उदयलाल को मिली नई जिन्दगी

चित्तौड़गढ़ जिले की सामरी ग्राम पंचायत में एक गांव है मेडी का अमराना। इस गांव में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हेमराज के घर में उदयलाल का जन्म हुआ। एक वर्ष की उम्र में उसकी मां उसे छोड़ कर चली गई। उदयलाल अक्सर बीमार रहने लगा। जांच में पता चला उसके हृदय का वाल्व खराब हो गया है।

क्षेत्रीय विधायक सुरेन्द्र सिंह के प्रयासों से उसके इलाज के लिए मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष से 95 हजार रुपए स्वीकृत भी हुए। लेकिन उदयलाल के पिता की निरक्षरता और जागरूकता इसमें आडे आ गई। इतनी राशि स्वीकृत होने के बावजूद वह उसका इलाज नहीं करवा पाए। अज्ञानता की मार को झेलते हुए उदयलाल के पिता की भी मृत्यु हो गई।

कट्स मानव विकास केन्द्र के कार्यकर्ताओं को फील्ड विजिट में यह सब पता चला। कार्यकर्ताओं के लगातार किए गए प्रयासों के बाद 18 अक्टूबर को उदयलाल का एसएमएस अस्पताल जयपुर में सफल आपरेशन हुआ और उसे नया जीवनदान मिला। यह केवल उदयलाल का ही मामला नहीं, ऐसे कई मामले हो सकते हैं, जिनमें निरक्षरता और जागरूकता की कमी से लोग सरकारी योजनाओं के लाभ समय पर नहीं उठा पाते।

बीमारी की मुफ्त जांच सराहनीय कदम

राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाओं के बाद अब मुफ्त जांच की सुविधाएं भी देने जा रही है। राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय है। बीमारियों से जूझते हुए मरीज और उसके परिवार को सबसे ज्यादा खर्च बीमारी की जांच और दवाओं पर ही करना पड़ता है।

इससे गरीब ही नहीं मध्यम वर्ग तक का घरेलू बजट बिगड़ जाता है। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर कई प्रकार की जांचें करवाते हैं। कई ग्रामीण और गरीब लोग तो जांच के खर्च को देखकर इलाज ही नहीं करवाते।

योजना का लाभ ग्रामीण स्तर तक मिल सके इसके लिए राज्य सरकार को ग्रामीण स्तर तक जांच सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए, साथ ही मुफ्त दवा योजना में रही कई खामियों को दूर करना होगा।

- राम नारायण चौधरी, बीकानेर

आम आदमी की पार्टी

अरविन्द केजरीवाल ने एक नई पार्टी बनाई है, जिसको नाम दिया गया है 'आप' अर्थात 'एक आम आदमी पार्टी'। केजरीवाल खुद ईमानदार, सत्यनिष्ठा और साहसी व्यक्ति हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जो खुलासे किए हैं उनसे उनकी छवि में और भी उजलापन आया है।

उन्हें अपनी पार्टी में ईमानदार और चरित्रवान लोगों को शामिल करना होगा। समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम भी बनानी होगी।

आज राजनीति बहुत गंदी हो गई है, चुनाव जीतना और बहुमत बनाना इतना आसान नहीं रह गया है। दूसरी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए कई हथकण्डे अपनाती है। उन्हें इस बारे में ध्यान देना होगा।

- पुष्पा कुमावत, जयपुर

पेड़ काटा तो देना होगा जुर्माना

शहरी क्षेत्रों में यदि बिना अनुमति के पेड़ काटा अथवा नष्ट किया तो दोषी व्यक्ति को 25 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी व्यक्ति को छह महीने सार्वजनिक पार्क में काम करना पड़ेगा। राज्य सरकार इसके लिए कानून बनाने जा रही है। विधि विभाग की राय और कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह विधेयक विधान सभा में लाया जाएगा।

नगरीय विकास विभाग के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व कानून में ऐसे प्रावधान है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए सरकार 'राजस्थान ट्री प्लांटेशन एण्ड प्रोटेक्शन इन अरबन ऐरियाज' कानून बना रही है।

गांव-गांव दौड़ेगी रोडवेज बस

गांवों तक आने जाने के साधनों की कमी और उससे ग्रामीणों को हो रही परेशानी के मद्देनजर राज्य सरकार ने गांव-गांव तक रोडवेज बस पहुंचाने के लिए ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू की है।

यातायात और परिवहन मंत्री वीरेन्द्र बेनीवाल ने बताया कि इस सेवा के तहत उन मार्गों पर भी बसें चलाई जाएगी, जहां घाटे के चलते वाहन नहीं चलाए जाते। प्रदेश में 2000 बसें चलाई जाएंगी और उनसे राज्य की चार हजार पंचायतों को जोड़ा जाएगा। जिन रूटों पर घाटा होगा, उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि बसों का किराया रोडवेज तय करेगा।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485